कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/माध्य/ SIQE/60828/कलस्टर कार्यषाला/2017/ 123 दिनांक :– 04.01.2019

1. **समस्त सभांगीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।**
2. **समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।**

विषयः– शैक्षिक सत्र 2018–19 में एसआईक्यूई कार्यक्रम मे तहत कलस्टर स्तरीय कार्यशाला के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/मा/माध्य/ SIQE/60828/ कलस्टर कार्यषाला/2017/78 एवं 101 दिनांक :–03.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन करवाने वाले अध्यापकों के लिए कलस्टर कार्यशाला के आयोजन के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ये कार्यशालाएँ प्रत्येक दूसरे माह में आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के समुचित प्रबोधन हेतु भी संदर्भित पत्र 101 दिनांकः 03.08.2018 द्वारा निर्देशित किया गया था। इस पत्र में दिए गए लिंक पर जाकर ऑन लाईन फॉर्मेट की पूर्ति करने के निर्देश जारी किए गए थे। विगत कार्यशालाओं के ऑनलाईन फार्मेट की पूर्ति देख कर यह ध्यान में आया है कि जिला स्तर पर इन कार्यशालाओं का समुचित प्रबोधन नहीं हो रहा है। इस बाबत् आपको निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते है–

1. सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कलस्टर कार्यशालाओं के प्रबोधन हेतु **सम्भागीय नोडल अधिकारी** होंगे। सम्भागीय संयुक्त निदेशक अधीनस्थ जिलों में उक्त कार्यशालाओं का प्रबोधन करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक कलस्टर कार्यशालाओं के प्रबोधन हेतु **जिला नोडल अधिकारी** होंगे। जिले की समस्त कलस्टर कार्यशालाओं में कोई न कोई अधिकारी/डाइट फेकल्टी आवश्यक रूप से उपस्थित होकर संबलन प्रदान करे इस हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के माध्यमिक व प्रारम्भिक तथा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। जिले के समस्त अधिकारियों, डायट फेकल्टी तथा संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ कार्यालय के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए कार्यशालाओं के प्रबोधन एवं संबंलन के कार्य को करना सुनिश्चित करेंगे। यदि ब्लॉक पर कलस्टर की संख्या अधिक है तो उसी कलस्टर के अन्य पीईईओ के द्वारा कलस्टर कार्यशाला का प्रबोधन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अधीनस्थ ब्लॉक से निम्नांकित प्रारूप में सूचना एकत्र कर तीन दिवस में समेकित कर संबंधित सम्भागीय संयुक्त निदेशक को भेजना सुनिश्चित करेंगे। सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अधीनस्थ जिलों से उक्त सूचना को एकत्र कर समस्त संभाग की समेकित सूचना अग्रांकित मेल आई.डी **siqesecedu.gov@gmail.com** में सात दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. सम्भागीय संयुक्त निदेशक कलस्टर कार्यशालाओं के आयोजन के समय स्वयं व अपने अधिकारियों से अपने परिक्षेत्र में किसी न किसी कार्यशाला में उपस्थित होकर आवश्यक संबलन प्रदान करेंगे तथा गूगल लिंक **http://tinyurl.com/cluster-2018-19** पर ऑनलाईन फार्मेट आवश्यक रूप से भरेंगे। जिला स्तर पर कार्यशालाओं को संबलन प्रदान करने वाले अधिकारी/डाइट फैकल्टी भी उक्त लिंक पर जाकर आवश्यक रूप से ऑनलाईन फॉर्मेट भरना सुनिश्चित करेंगे।

निर्देशित किया जाता है किं दिनांक 11 से 12 एवं 15 से 16 जनवरी 2019, को आयोज्य तृतीय कार्यशाला तथा आगामी कार्यशालाओं में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए इनका सफल संचालन एवं समुचित प्रबोधन करना सुनिश्चित करेंगे।

www.rajteachers.com

यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन कार्यशालाओं में अनुपस्थित रहने वाले/पूर्ण समय उपस्थित न रहने वाले शिक्षकों तथा उन्हे कार्यमुक्त नहीं करने वाले संस्था प्रधानों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

—प्रारूप—

क्र. स.	मण्डल का नाम	जिले का नाम	जिले में कुल कलस्टर रिसोर्स विद्यालयों की संख्या	प्रथम समूह कार्यषाला की तिथियॉ	द्वितीय समूह कार्यषाला की तिथियॉ	विद्यालयों की संख्या जहां कलस्टर कार्यषाला आयोजित नहीं हुई		कलस्टर कार्यषालाओं में आंमत्रित षिक्षक		कलस्टर कार्यषाला में उपस्थित षिक्षक	
						प्रथम समूह कार्यषालाओं में	द्वितीय समूह कार्यषालाओं में	प्रथम समूह कार्यषाला में कुल आमंत्रित षिक्षक	द्वितीय समूह कार्यषाला में कुल आमंत्रित षिक्षक	प्रथम समूह कार्यषाला में कुल उपस्थित षिक्षक	द्वितीय समूह कार्यषाला में कुल उपस्थित षिक्षक

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक एवं प्रारम्भिक।
7. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी।
9. सहायक निदेशक एसआईक्यूई सेल, प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक तथा समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उक्त बाबत् अवगत करवाएं।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com